डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-592 **New Delhi: 18.08.2020**

श्री गिरिराज सिंह
पुत्र श्री महेंद्र सिंह
गाँव और डाकघर असावठी
तहसील और जिला पलवल
हरियाणा
मो-9991437943

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आपके मूल आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 23.07.2020.

संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आपके द्वारा RTI आवेदन पत्र के साथ जमा कराए गए 100 रुपए के भारतीय पोस्टल आर्डर के विवरण इस प्रकार है :

RTI आवेदन शुल्क :10 रुपए

बाकि के 90 रुपए के भारतीय पोस्टल आर्डर इस पत्र के साथ वापस किए जा रहे है

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकरण को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आरo पीo छिब्बर
महाप्रबंधक / प्रशासन DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

18/08/20

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

संलग्न: 90रुपए के भारतीय पोस्टल आर्डर और 01 पृष्ठ.

No. CPM/DFCCIL/MTC/EN/RTI/Vol-VII

दिनांक: 07.08.2020
14

डिप्टी जी0एम0/एडमिन(पी0आई0ओ0),
कॉरपोरेट ऑफिस, डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- निगम कार्यालय का पत्रांक-2020/एच.क्यू/एडमिन/आर.टी.आई.-592 दिनांक 31.07.2020

सन्दर्भित पत्र मे चाही गयी सूचना की जानकारी बिन्दुवार निम्नवत है-

पैरा सं	*चाही गयी सूचना*	*उपलब्ध करायी जा रही सूचना*
1	ग्राम मकरन्दपुर उर्फ फतेहपुर, तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	पैरा संख्या-1, 2 व 3 के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि आवेदन पत्र मे उल्लेखित ग्रामों की भूमि के प्रतिकर का निर्धारण रेल संशोधन अधिनियम 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है।
2	ग्राम भौरा तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	
3	ग्राम सलौनी उर्फ रौनी तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर। उपरोक्त तीनों गाँव की भूमि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. ई.डी.एफ.सी.आई.एल. मे अधिग्रहित की थी उनको गाँव के किसानों को भूमि का मुआवजा किस प्रकार दिया।	
4	उपरोक्त गाँव के माईक्रोप्लान व इटाइटलमेंट आर.आर.पी. 2015 में कीमत किस प्रकार दी गयी है।	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अनुदान का भुगतान आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0-2013 की द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दिया जा रहा है।
5	उपरोक्त गाँव के किसानों को माईक्रोप्लान के अधीन 5.5 लाख रूपये उपर्युक्त किसानों को किस प्रकार दिये गये है सभी किसानों की सत्यापित (अटैस्टिड) की प्रतिलिपी चाहिए	चाही गयी जनकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 की उपधारा (g) & (j) व धारा-11 के अन्तर्गत तृतीय पक्षकार होने के कारण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।
6	उपरोक्त गाँव के किसानों की भूमि साल-2015 के बाद जो भूमि अधिग्रहण की है, क्या जो मकान की भूमि अधिग्रहण के सीमा मे आये है व बिजली के टयूबवैल व मैदानी बौर्ड व फलदार पेड, इमारती लकडी के पेड इनकी कीमत मुआवजा किस प्रकार दी क्या उपर्युक्त मकान, टयूबवैल, मैदानी बोर्ड, फलदार पेड पर भी कीमत से अलग 100 प्रतिशत दिया गया है बताने की कृपा करे।	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का मूल्यांकन रेल संशोधन अधिनियम 2008 व आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0 आर0-2013 की धारा 30(1) के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पर शत प्रतिशत सोलेशियम दिया जाता है।
7	उपर्युक्त गाँव की भूमि का अवार्ड 2015 के बाद किया गया है उसके मुताबिक ही उपर्युक्त बिन्दुओ की जानकारी दी जाए। श्रीमानजी उपर्युक्त बिन्दुओ की जानकारी 2015 से बाद ई.डी.एफ.सी.सी.आई.एल. मेरठ ने जो अधिग्रहित की है उसकी जानकारी दी जाने या किसी आधार पर अधिग्रहित की गई है। श्रीमान जी उपर्युक्त सभी बिन्दुओ की हमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए।	

(महावीर सिंह)
उप जनसूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक/(विद्युत)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.मेरठ।